बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड
Bihar State Power (Holding) Company Limited
निबंधित कार्यालय : प्रथम तल, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना
Website:-www.bsphcl.bih.nic.in
(Department of HR and Administration)

संकल्प संख्या– 173 /पटना, दिनांक 6/8/2019

H-VIII/NPS-6001/2019

विषय :– बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों में नयी अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत कंपनी द्वारा दी जाने वाली अंशदान की सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% करने के संबंध में।

वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या–1964 दिनांक–31.08.2005 के आलोक में पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यालय आदेश संख्या–3131 दिनांक–28.10.2005 द्वारा राज्य सरकार के अनुरूप पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सम्प्रति बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों में दिनांक–01.09.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है। यह एक अंशदान आधारित पेंशन योजना है, जिसमें किसी कर्मी को प्राप्त मूल वेतन एवं अनुमान्य महँगाई भत्ता के योग का 10% कर्मी अंशदान एवं इसी के समतुल्य सरकारी अंशदान मासिक आधार पर की जाती है।

2. वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापांक–717 दिनांक–27.07.2019 के द्वारा नयी पेंशन योजना से संबंधित संकल्प संख्या–1964 दिनांक–31.08.2005 मे संशोधन करते हुए कर्मी के अंशदान की सीमा को 10% रखते हुए सरकारी अंशदान की सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% किया गया है।

3. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नयी पेंशन योजना से संबंधित जो आदेश निर्गत किया जाता है उसे बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों में भी नयी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों के लिए समरूप व्यवस्था लागू किया जाता रहा है। अतः वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापांक–717 दिनांक–27.07.2019 के आलोक में पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यालय आदेश संख्या–3131 दिनांक–28.10.2005 की कंडिका–2 के प्रावधान को आगामी निदेशक मंडल की स्वीकृति की प्रत्याशा में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है–

"दिनांक–01.09.2005 को या उसके बाद नियुक्त एवं नयी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों के मासिक वेतन से उनके मूल वेतन तथा अनुमान्य महंगाई भत्ते के योग का 10% (दस प्रतिशत) राशि अंशदायी पेंशन मद में अंशदान के रूप में कटौती की जायेगी तथा उनके मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग का 14% (चौदह प्रतिशत) राशि नियोक्ता अर्थात बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनी द्वारा अंशदान के रूप में दी जायेगी।"

4. उपर्युक्त संशोधन दिनांक–01.07.2019 के प्रभाव से लागू होगा।

आदेश से,
(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)

ज्ञापांक 174 / दिनांक 6/8/2019

प्रतिलिपि, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के (विशेष कार्य पदाधिकारी/तकनीकी सचिव/प्रधान आप्त सचिव)/निदेशक (मा0सं0) के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)

ज्ञापांक 174 / दिनांक 6/8/2019

प्रतिलिपि, सभी निदेशक/सभी महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)/सभी महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) सभी महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता/सभी उप महाप्रबंधक–सह–विद्युत अधीक्षण अभियंता/सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता/सभी उप महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)/सभी उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/विधि परामर्शी/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता/सभी वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/सभी वरीय प्रबंधक (कार्मिक)/सभी लेखा पदाधिकारी/कम्पनी सचिव/सभी प्रशासी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/8/19

(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)

ज्ञापांक 174 / दिनांक 6/8/2019

प्रतिलिपि, आवासीय अंकेक्षण पदाधिकारी, विद्युत भवन पटना/आवासीय अभियंता, कोलकाता/नई दिल्ली, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/8/19

(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)

ज्ञापांक 174 / दिनांक 6/8/2019

प्रतिलिपि, उप महाप्रबंधक (आई०टी०)/डी०बी०ए०, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि इस पत्र की प्रति कम्पनी के बेवसाइट पर अपलोड किया जाय।

6/8/19

(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)